अहकाम ... हुक्म ... में जा...	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...-1-20	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/~~प्रतिवादी~~/ ~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी~~/उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है~~। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16-1-2020 को पेश हो। रीडर	
16-1-2020	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है~~। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6-2-2020 को पेश हो। रीडर	
	6-2-2020 वकील उभयपक्ष उप०। वकील प्रार्थी बहस को समय चाहते हैं, अन्तिम अवसर दिया जाता है। वास्ते बहस पत्रावली दि० 17-2-2020 को पेश हो।	
	17-2-20 वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते बहस पत्रावली दि० 27-2-20 को पेश हो।	
	27-2-2020 वकील उभयपक्ष उप०। बहस दर० सुनी गई। वास्ते निर्णय दर० पत्रावली दि० 12-3-2020 को पेश हो।	
	12-3-2020 वकील उभयपक्ष उप०। प्रा०पत्र O 7 R 11 C.P.C. स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण, T.I. प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली दी सल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	

न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर०ए०एस०, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर		तारीख रजू	तारीख निर्णय
76/2016	दावा	16.8.2016	12-3-2020
54/2016	टी0आई0प्रा0पत्र	16.8.2016	12-3-2020

खिलाडी वगैरा बनाम प्रहलाद वगैरा

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र तहत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0

उपस्थित :–श्री रविशंकर शर्मा, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

श्री सतीश कुमार शर्मा , एड0, प्रतिवादी नं0 1 ता 4 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 की ओर से दिनांक 11.12.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादीगण द्वारा दावा स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है जो केवल खातेदार द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। विवादित भूमि ख0नं0 884 ग्राम मालियों की चौकी की खातेदारी दामोदर पुत्र बदरी प्रसाद के नाम है। वादीगण भूमि के खातेदार नहीं है इसलिए उन्हें दावा करने का अधिकार नहीं है। खातेदारी के अभाव में वादीगण को भूमि के सम्बन्ध में कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं है न ही उन्हें खातेदारी के अभाव में कोई वादकारण उत्पन्न हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण वादकारण व भूमि में टाईटल के अभाव में आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के तहत खारिज फरमाया जावे।

इस प्रार्थना पत्र का वादीगण की ओर से जबाब दिनांक 18.12.2019 को प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित किया गया है कि प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित किए गए हैं। वादीगण ने उपरोक्त उनवानी दावा बहैसियत खातेदार प्रस्तुत किया है जिसका राजस्व रिकार्ड पत्रावली पर दावा प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण अदालत को सही तथ्यों से अवगत नहीं करवा कर गुमराह कर गलत रूप से दावा खारिज कराना चाहते हैं जबकि वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता नहीं है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 पर बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 पर बहस करते हुए कहा कि वादीगण ने दावा स्थाई निषेधाज्ञा का किया हुआ है। स्थाई निषेधाज्ञा का दावा केवल खातेदार ही ला सकता है। वादीगण वर्तमान में भूमि के खातेदार नहीं हैं इसलिए उनका दावा वार्ड वाई ला होने के कारण व वादकारण के अभाव में चलने योग्य नहीं है। फलस्वरूप आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के तहत वादीगण का यह वादपत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे। प्रमाण स्वरूप नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 363 प्रस्तुत है।

वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र में प्रतिवादीगण ने गलत तथ्य अंकित किए हैं। दावा प्रस्तुति के समय वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार रहे हैं एवं वादीगण इसके प्रमाण स्वरूप नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 47 प्रस्तुत की है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथ्यहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा हस्तगत वाद पत्र वर्ष 2016 में स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था एवं तत्समय वादीगण द्वारा नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 47 प्रस्तुत की गई थी जिसके अनुसार वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार दर्ज थे। प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के साथ जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 363 की नकल प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 5 दामोदर प्रसाद के नाम दर्ज है एवं इस जमाबंदी में यह अंकन नामान्तरकरण संख्या 520 दिनांक 21.8.2019 स्वीकृत होने पर हुआ है। इस इन्द्राज का वादीगण ने कोई प्रतिरोध भी नहीं किया है। इससे यह विदित है कि वादग्रस्त भूमि के वादीगण वर्तमान में खातेदार दर्ज नहीं है। चूंकि वादीगण का दावा स्थाई निषेधाज्ञा का है एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा खातेदार ही ला सकता है तथा वर्तमान में वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं है ऐसी स्थिति में वादीगण का यह वाद विधि द्वारा वर्जित है एवं आदेश 7 नियम 11(घ) के तहत खारिज किए जाने योग्य है।

उप जिला कलेक्टर एवं सहायक कलेक्टर, गंगापुर सिटी (स.मा.) — सत्यमेव जयते

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

खिलाडी वगैरा बनाम प्रहलाद वगैरा, दावा व टी0आई0 प्रा0पत्र

(3)

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा दिनांक 11.12.2019 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत यह वादपत्र विधि से वर्जित होने के कारण आदेश 7 नियम 11(घ) सी0 पी0सी0 के तहत खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12-3-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.) सत्यमेव जयते

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. खिलाडी पुत्र बंशी, माली निवासी मालियों की चौकी तहसील गंगापुर सिटी
2. बत्तू पुत्र बंशी, माली निवासी मालियों की चौकी तहसील गंगापुर सिटी
3. ज्ञानी पुत्र बंशी, माली निवासी मालियों की चौकी तहसील गंगापुर सिटी
4. नारायणी बेवा बंशी, माली निवासी मालियों की चौकी तह0 गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र किशोर,माली निवासी मालियों की चौकी तहसील गंगापुरसिटी
2. मुकेश पुत्र रामहेत,माली निवासी मालियों की चौकी तहसील गंगापुर सिटी
3. हीरालाल पुत्र किशनलाल,माली नि0 मालियों की चौकी तह0 गंगापुरसिटी
4. मोतीलाल पुत्र सुआराम,माली निवासी मालियों की चौकी तह0 गंगापुरसिटी
5. दामोदरलाल पुत्र बद्री प्रसाद जाति खण्डेलवाल महाजन निवासी अग्रवाल धर्मशाला के पीछे, स्टेशन रोड, गंगापुर सिटी
6. देवकिशन पुत्र भौरया ,माली निवासी मालियों की चौकी तह0 गंगापुरसिटी
7. फूल्या पुत्र भौरया ,माली निवासी मालियों की चौकी तहसील गंगापुरसिटी
8. किशनलाल पुत्र भौरया ,माली नि0 मालियों की चौकी तह0 गंगापुर सिटी
9. छोट्या पुत्र भौरया ,माली निवासी मालियों की चौकी तहसील गंगापुरसिटी
10. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 76 / 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री रवि शंकर शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा दिनांक 11.12.2019 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत यह वादपत्र विधि से वर्जित होने के कारण आदेश 7 नियम 11(घ) सी0 पी0सी0 के तहत खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12-3-2020 को जारी किया गया ।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज.) सत्यमेव जयते

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पै
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.)

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2020.03.16 13:42:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: